रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2006.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 25 अगस्त, 2006/3 भाद्रपद, 1928

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–4, 25 अगस्त, 2006

संख्या वि0स0 विधायन–गवर्न0बिल0 1–49/2006.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) विधेयक, 2006 (2006 का विधेयक संख्यांक

1682–राजपत्र/2006–25–8–2006–1,467. (3991) मूल्य : 1 रुपया।

25) जो आज दिनांक 25–8–2006 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–ससाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

जे0आर0 गाज़टा,

सचिव,

हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

2006 का विधेयक संख्यांक 25

हिमाचल प्रदेश प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) विधेयक, 2006

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य में प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन करने तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के सतावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश चिकित्सा शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

(3) यह 7 जुलाई, 2006 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "सहायता प्राप्त संस्था" से केन्द्रीय या राज्य सरकार से या सहायता अनुदान या वित्तीय सहायता का संवितरण करने वाली केन्द्रीय या राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन किसी निकाय से पूर्णतः या भागतः वित्तीय अनुदान या सहायता प्राप्त कर रही प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अल्पसंख्यक संस्था भी होगी;

(ख) "सामान्य प्रवेश परीक्षा" (कॉमन एन्ट्रन्स टेस्ट) से चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार द्वारा,

राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा या ऐसी अधिसूचना होने तक राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रवेश परीक्षा अभिप्रेत है;

(ग) "फीस" से अध्यापन फीस और विकास प्रभारों सहित समस्त फीस अभिप्रेत है;

(घ) "सामान्य प्रवर्ग" से राज्य सरकार द्वारा विहित रीति में भरे जाने के लिए आबंटित, प्रबन्धन प्रवर्ग की सीटों (स्थानों) को छोड़कर, संस्था के लिए मंजूर स्थानों (इनटेक) में से सीटें (स्थान) अभिप्रेत और विवक्षित होंगी;

(ङ) "प्रबन्धन प्रवर्ग" से किसी संस्था में मंजूर स्थानों (इनटेक) में से, राज्य सरकार के प्राधिकृत अभिकरण द्वारा भरे जाने वाली सीटों (स्थानों) से अन्यथा, संस्था के प्रबन्धन को, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा भरे जाने के लिए आबंटित, सीटें (स्थान) अभिप्रेत और विवक्षित होंगी;

(च) "चिकित्सा पाठ्यक्रम" से औषध, दन्त चिकित्सा, नर्सिंग, फार्मेसी, पैरा–मेडिकलज या औषध की किसी अन्य पद्धति में कोई अनुमोदित व्यवसायिक पाठ्यक्रम अभिप्रेत है जो उस पाठ्यक्रम को विनियमित करने वाले सम्बन्धित अधिनियम के अधीन मान्यता प्राप्त या अनुमोदित है;

(छ) "अनिवासी भारतीय छात्र" से विधि के अधीन अनिवासी भारतीय की प्रास्थिति रखने वाले भारतीय के प्रतिपाल्य (वार्ड) अभिप्रेत हैं और जिन्होंने विदेश से अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण की हो;

(ज) "अधिसूचना" से समुचित प्राधिकार के अधीन राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत होगी;

(झ) "राजपत्र" से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत होगा;

(ञ) "*प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था*" से ऐसी संस्था अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ शासित प्रशासन या

केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी अभिकरण या परिकरण द्वारा संवर्धित या चलाई न जाती हो;

(ट) "अर्हता परीक्षा" से सम्बन्धित कानूनी प्राधिकरण द्वारा चिकित्सा पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए विहित न्यूनतम पात्रता अर्हता या इसके समकक्ष अभिप्रेत है;

(ठ) "मंजूर स्थान (इनटेक)" से राज्य सरकार द्वारा प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था में प्रत्येक पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश हेतु कुल मंजूर की गई सीटें (स्थान) अभिप्रेत और विवक्षित होंगी;

(ड) "राज्य" से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;

(ढ) "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है; और

(ण) "असाहाय्यित संस्था" से सहायता प्राप्त न करने वाली प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था अभिप्रेत है।

प्रवेश का विनियमन, फीस का नियतन और आरक्षण करना।

3. (1) राज्य सरकार विभिन्न प्रवर्गों के लिए प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रवेश को विनियमित कर सकेगी, फीस नियत कर सकेगी और आरक्षण कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी संस्था में सभी प्रवर्गों के अन्तर्गत प्रवेश उचित और पारदर्शी रीति में दिया गया है।

(3) राज्य सरकार,ऐसे सदस्यों, जैसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, से गठित प्रवेश और फीस समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'समिति' कहा गया है) राज्य सरकार को प्रवेश देने, आरक्षण करने, सीटों (स्थानों) का आबंटन करने तथा फीस की रीति की सिफारिश करने के लिए गठन कर सकेगी।

(4) राज्य सरकार प्रवेश और फीस समिति के कार्यकरण का निरीक्षण करेगी।

(5) उप–धारा (3) के अधीन गठित समिति और इसके सदस्यों के निर्बन्धन और शर्तें समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट की जाएंगी।

(6) यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से सहबद्ध संस्था ने इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया है तो वह ऐसी संस्था की मान्यता या सहबद्धता को प्रत्याहृत करने के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से सिफारिश कर सकेगी।

(7) राज्य सरकार संस्थाओं में प्रवेश की पद्धति में सुधार लाने, संस्थाओं द्वारा फीस प्रभारित करने और किसी अन्य मामले, जो पद्धति के निर्बाध परिचालन को सुकर बनाने तथा शिकायतों को दूर करने के लिए आवश्यक हो, की बाबत समुचित कार्रवाई, जहां कहीं आवश्यक समझी जाएं, करेगी।

प्रवेश हेतु पात्रता मानदण्ड।

4. (1) प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था में प्रवेश हेतु पात्रता मापदण्ड ऐसा होगा जैसा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित और अधिसूचित किया जाए।

(2) राज्य सरकार प्रत्येक चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सामान्य प्रवेश परीक्षा संचालित करवा सकेगी।

(3) प्रवेश, सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाने वाली रीति और प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष और पारदर्शी रीति में, प्रत्येक चिकित्सा पाठ्यक्रम हेतु, सभी प्रवर्गों में विद्यार्थियों के केन्द्रीकृत काउंसलिंग द्वारा आवेदनों की केन्द्रीकृत प्राप्तियों द्वारा प्रत्येक प्रवर्ग में सामान्य प्रवेश परीक्षा में मैरिट के आधार पर नियमों के अनुसार दिया जाएगा।

सीटों (स्थानों) का आबंटन।

5. (1) असाहाय्यित प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था कानूनी आरक्षणों, जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किए जाएं, के साथ, स्थानों के प्रबन्धन प्रवर्ग कोटा के रूप में, कुल मंजूर स्थानों (इनटेक) के पचास प्रतिशत तक आरक्षित कर सकेगी।

(2) अनिवासी भारतीय छात्रों के प्रवेश की दशा में,–

(क) प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था ऐसे छात्रों को सीटों (स्थानों) की ऐसी संख्या, जैसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, के विरूद्ध प्रवेश दे सकेगी; और

(ख) प्रवेश, प्रबन्धन प्रवर्ग के रूप में अधिसूचित सीटों (स्थानों) के विरूद्ध दिया जाएगा :

परन्तु यह कि अनिवासी भारतीय छात्रों के लिए सीटों (स्थानों) की कुल संख्या कुल मन्जूर स्थानों (इनटेक) के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

सीटों (स्थानों) का आरक्षण।

6. समस्त प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्थाएं, नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन–जातियों के उन्नयन के लिए ऐसे विस्तार तक,जैसा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाए, सामान्य प्रवर्ग तथा प्रबन्धन प्रवर्ग में प्रवेश के लिए सीटें (स्थान) आरक्षित करेगी।

फीस नियत करना।

7. (1) राज्य सरकार, प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस अवधारित करते समय धारा 3 की उप–धारा (3) के अधीन गठित समिति, राज्य सरकार को इसकी सिफारिश करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगी:–

(क) संस्था की अवस्थिति;

(ख) चिकित्सा पाठ्यक्रमों की प्रकृति;

(ग) भूमि तथा भवन की लागत;

(घ) उपलब्ध अवसंरचना तथा उपस्कर;

(ङ) संकाय, प्रशासन तथा रख–रखाव पर उपगत या उपगत किए जा रहे व्यय;

(च) संस्था के संवर्धन तथा विकास के लिए अपेक्षित युक्तियुक्त लाभ; और

(छ) कोई अन्य सुसंगत बात, जिसे राज्य सरकार फीस के अवधारण के लिए न्यायोचित् तथा समुचित समझे।

(2) उप–धारा (1) के अधीन फीस का अवधारण करने से पूर्व, यथास्थिति, राज्य सरकार या उक्त समिति सम्बन्धित प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्थाओं और ऐसी संस्थाओं में पहले से ही अध्ययनरत छात्रों के प्रतिनिधियों तथा उन छात्रों के प्रतिनिधियों, जो उन संस्थाओं में प्रवेश चाहते हैं, को फीस के अवधारण की बाबत लिखित में अपने विचार बिन्दुओं को अभिव्यक्त करने का युक्तियुक्त अवसर देगी।

(3) उप–धारा (1) और (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार लोकहित में अनन्तिम फीस अवधारित कर सकेगी:

परन्तु उप–धारा (1) और उप–धारा (2) के अनुसार फीस ऐसी अनन्तिम फीस के नियतन से नब्बे दिन की अवधि के भीतर नियत की जाएगी।

(4) उप–धारा (1) और उप–धारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार को, इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व, किसी भी समिति द्वारा नियत फीस संरचना के पुनर्विलोकन की शक्ति होगी।

उल्लंघनों से निपटने के लिए क्रियाविधि।

8. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों या तद्धीन जारी किसी अधिसूचना के उल्लंघन की बाबत परिवादों (शिकायतों) को ग्रहण करने के लिए अधिसूचना द्वारा एक नॉडल अधिकारी, जो राज्य सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, नियुक्त करेगी।

(2) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों या तद्धीन जारी किसी अधिसूचना के उल्लंघन के लिए स्वप्रेरणा से अवेक्षा कर सकेगी।

(3) राज्य सरकार, परिवादी द्वारा लगाए गए अभिकथनों पर या स्वप्रेरणा पर जांच करवा सकेगी और निम्नलिखित कार्रवाईयां कर सकेगी, अर्थात्:–

(क) परिवाद को दाखिल–दफ्तर कर सकेगी, यदि इसकी राय में यह तंग करने वाला, अनाम या छद्मनाम वाला परिवाद है; या

(ख) परिवादी को अतिरिक्त सूचना देने या अपने अभिकथनों के समर्थन में शपथ–पत्र प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगी; या

(ग) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसी कार्रवाई कर सकेगी जैसी यह समुचित समझे।

(4) उप–धारा (3) के अधीन जांच का संचालन करने के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा और जांच साठ दिन की अवधि के भीतर पूरी कर ली जाएगी।

(5) नॉडल अधिकारी को, प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्थाओं के अभिलेखों को देखने, अभिप्राप्त करने तथा उनकी संवीक्षा करने के साथ ही किसी भी व्यक्ति या किसी सुसंगत शासकीय अभिलेख, जिसे वह आवश्यक समझे, को समन करने हेतु सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी।

शास्तियां।

9. (1) राज्य सरकार, यदि उसका समाधान हो जाता है कि किसी प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था ने इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी का या तद्धीन जारी किसी अधिसूचना का उल्लंघन किया है, तो वह निम्नलिखित सभी या इनमें से कोई कार्रवाई कर सकेगी, अर्थात्:–

(क) ऐसी संस्था की सहबद्धता या मान्यता को विश्वविद्यालय या किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय, जिससे ऐसी संस्था सहबद्ध है, से प्रत्याहृत कराना;

(ख) ऐसी संस्था पर जुर्माना अधिरोपित करना, जो प्रभारित की गई अधिक फीस के पन्द्रह गुणा तक हो सकेगा और जुर्माना जमा न कराने की दशा में यह भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूलीय होगा;

(ग) ऐसी संस्था को उस छात्र के प्रवेश या रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के निदेश देना, जिसे संस्था में इस अधिनियम के उपबन्धों या तद्धीन जारी अधिसूचना के उल्लंघन में प्रवेश दिया गया है; और

(घ) ऐसी संस्था को उस छात्र को प्रवेश देने के लिए निदेश देना, जिसको प्रवेश देने के लिए गलत तौर पर वंचित किया गया है।

(2) उप–धारा (1) के अधीन कोई कार्रवाई करने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा ऐसी संस्था को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।

राज्य सरकार की निदेश जारी करने की शक्तियां।

10. राज्य सरकार समय–समय पर प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्थाओं को ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जो, उसकी राय में, इस अधिनियम या तद्धीन जारी अधिसूचनाओं के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक या समीचीन हो और ऐसी संस्थाएं निदेशों की अनुपालना करेंगी।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति।

11. (1) यदि इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों:

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश इसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र राज्य के विधानमण्डल के समक्ष रखा जाएगा।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

12. इस अधिनियम के अधीन या तद्धीन जारी अधिसूचना के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने को आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां, राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी के विरूद्ध नहीं होगी।

नियम बनाने की शक्ति।

13. (1) राज्य सरकार,राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) उप–धारा (1) के अधीन बनाए गए नियम, राजपत्र में पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन होंगे।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर दस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो एक सत्र में या दो या दो से अधिक क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि, उस सत्र के, जिसमें वह इस प्रकार रखे गए हों या ठीक, बाद के सत्र के, अवसान से पूर्व, विधान सभा नियम में कोई परिवर्तन करती है या सहमत हो जाती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, ऐसा नियम ऐसे परिविर्तित रूप में प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा,तथापि ऐसे किसी परिवर्तन या बातिलीकरण से उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

2006 के अध्यादेश संख्यांक 4 का निरसन और व्यावृत्तियां।

14. (1) हिमाचल प्रदेश प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन, फीस का नियतन और आरक्षण करना) अध्यादेश, 2006 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

Bill No. 25 of 2006

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH PRIVATE MEDICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (REGULATION OF ADMISSION AND FIXATION OF FEE) BILL, 2006

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to provide for regulation of admission and fixation of fee in Private Medical Educational Institutions in the State of Himachal Pradesh and for the matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-seventh Year of the Republic of India, as follows:—

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Private Medical Educational Institutions (Regulation of Admission and Fixation of Fee) Act, 2006.

(2) It extends to the whole of the State of Himachal Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force on 7th day of July, 2006.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(*a*) "Aided Institution" means a Private Medical Educational Institution, receiving financial aid or assistance in whole or in part from the Central or State Government or from any body, under the Control of Central or State Government disbursing grant-in-aid or financial assistance and shall include a minority institutions;

(*b*) "Common Entrance Test" means an entrance test, for the purpose of admission to a Medical Course, conducted by an agency authorized by the State Government, by a notification published in the Official Gazette or, pending such notification, by the State Government;

(*c*) "fee" means all fee including tuition fee and development charges;

(*d*) "general category" shall mean and imply seats from out of the sanctioned intake of institution; not being seats in the management category, allocated to be filled by the State Government in the manner as may be prescribed;

(*e*) "management category" shall mean and imply seats in an institution from out of the sanctioned intake, other than those filled by the authorized agency of the State Government, allocated to the

management of the institution for being filled by it in accordance with the provisions of this Act;

(*f*) "medical course" means any approved professional course in medicine, dentistry, nursing, pharmacy, para-medicals or in any other system of medicine which are recognized or approved under the respective Act governing that course;

(*g*) "Non-Resident Indian Student" means the wards of Indian having Non-Resident Indian status under the law and who have passed the qualifying examination from abroad;

(*h*) "notification" shall mean a notification published, under proper authority, in the Official Gazette;

(*i*) "Official Gazette" shall mean the Rajpatra of Himachal Pradesh;

(*j*) "Private Medical Educational Institution" means an institution not promoted or run by the Central Government, State Government or Union Territory Administration or any agency or instrumentality of the Central or State Government;

(*k*) "Qualifying Examination" means the minimum eligibility qualification or its equivalent prescribed by the concerned statutory authority for taking admission in 1st year of the medical course;

(*l*) "sanctioned intake" shall mean and imply the total number of seats sanctioned by the State Government for admitting students in each course of study in a Private Medical Educational Institution;

(*m*) "State" means the State of Himachal Pradesh;

(*n*) "State Government" means the Government of Himachal Pradesh; and

(*o*) "Unaided Institution" means a Private Medical Educational Institution, not being an Aided Institution.

Regulation of admission, fixation of fee and making of reservation.

3. (1) The State Government may regulate admission, fix fee and make reservation for different categories in admissions to Private Medical Educational Institutions.

(2) The State Government shall ensure that the admission under all the categories in an institution is done in a fair and transparent manner;

(3) The State Government, may constitute an Admission and Fee Committee, (hereinafter referred to as the 'Committee'), consisting of such members

as may be specified by the State Government, by notification, to recommend the mode of admission, making of reservation, allocation of seats and fixation of fees etc. to the State Government.

(4) The State Government, shall oversee the working of Admission and Fee Committee.

(5) The terms and conditions of the Committee constituted under sub-section (3) and its members shall be specified, by the State Government, by notification from time to time.

(6) If the State Government is satisfied that the institution affiliated to the Himachal Pradesh University, has contravened any provision of this Act, it may recommend to the Himachal Pradesh University for withdrawal of recognition or affiliation of such institution.

(7) The State Government, shall take appropriate action wherever deemed necessary, with regard to improvement in the system of making admissions in the institutions, charging of fee by the institutions and on any other matter, which may be necessary to facilitate smooth running of the system and to remove grievances.

Eligibility criteria for admission.

4. (1) The eligibility criteria for admission to a Private Medical Educational Institution shall be such, as may be determined and notified by the State Government from time to time.

(2) The State Government may get a Common Entrance Test conducted for admission to each medical course.

(3) The admission shall be made on the basis of Common Entrance Test in accordance with merit in each category as per rules and by way of centralised receipt of applications, by making centralised counseling of such students in all the categories for each medical course, in a fare and transparent manner in accordance with the manner and procedure as may be determined by the State Government from time to time.

Allocation of seats.

5. (1) An Unaided Private Medical Educational Institution may reserve upto fifty percent seats of the total sanctioned intake as a management category quota of seats with statutory reservations as may be determined by the State Government.

(2) In the case of admission of Non-Resident Indian Students,—

(*a*) a Private Medical Educational Institution may admit such students against such number of seats, as may be notified by the State Government; and

(*b*) admission shall be made against the seats, notified as management category :

Provided that the total number of seats for the Non- Resident Indian Students, shall not exceed fifteen percent of the total sanctioned intake.

Reservation of seats.

6. All Private Medical Educational Institutions shall reserve seats for admission in general category and management category, for advancement of socially and educationally backward classes and for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes to such extent, as may be notified by the State Government from time to time.

Fixation of fee.

7. (1) The State Government while determining, or the Committee constituted under sub-section (3) of section 3 while recommending to the State Government, the fee to be charged by a Private Medical Educational Institution, shall consider the following factors: —

(*a*) the location of the institution;

(*b*) the nature of the medical courses;

(*c*) the cost of land and building;

(*d*) the available infrastructure and equipment;

(*e*) the expenditure incurred or being incurred on faculty, administration and maintenance;

(*f*) the reasonable profit, required for the growth and development of the institution; and

(*g*) any other relevant factor, which the State Government deems just and appropriate for the determination of fee.

(2) Before determining fee under sub-section (1), the State Government or the said Committee, as the case may be, shall give the concerned Private Medical Educational Institutions and the representatives of the students already studying in such institutions and the representatives of the students who intend to seek admission in those institutions, a reasonable opportunity to express their view points in writing in respect to the fee determination.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (2), the State Government may, in public interest, determine a provisional fee structure:

Provided that the fee shall be fixed in accordance with the provisions of sub-section (1) and sub-section (2) within a period of ninety days from the fixation of such provisional fee.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (2), the State Government shall have the power to review the fee structure fixed by any Committee, prior to the commencement of this Act.

Mechanism for dealing with con-traventions.

8. (1) The State Government shall, by notification, appoint a nodal officer, not below the rank of a Joint Secretary to the State Government for entertaining complaints with regard to the contravention of the provisions of this Act or any notification issued thereunder.

(2) The State Government may also take a suo-moto notice of the contravention of the provisions of this Act or any notification issued thereunder.

(3) The State Government may cause an enquiry to be made into the allegations levelled by the complainant or on its suo-moto initiative and take the following actions, namely:—

(*a*) file the complaint, if in its opinion, it is a vexatious, anonymous or pseudonymous complaint; or

(*b*) direct the complainant to furnish additional information or an affidavit in support of his allegations; or

(*c*) take such action, as it may deem appropriate, keeping in view the facts and circumstances of the case.

(4) For conducting an enquiry under sub-section (3), a summary procedure shall be followed and the enquiry shall be completed within a period of sixty days.

(5) The nodal officer shall have the powers of a civil court to access, obtain and scrutinize the records of the Private Medical Educational Institutions as well as summoning of any person or any relevant official record, which he may deem necessary.

Penalties.

9. (1) The State Government may, if it is satisfied that a Private Medical Educational Institution has contravened any of the provisions of this Act or any notification issued there under, it may take any or all of the following actions, namely:—

(a) cause the withdrawal of affiliation or recognition of such institution from the university or any other authority or body to which such institution is affiliated;

(b) impose a fine on such institution, which may extend to fifteen times of the excess fee charged and in the event of non-deposit of fine, it shall be recoverable as arrear of land revenue;

(c) direct such institution to cancel the admission or registration of a student, who has been admitted to such institution in contravention of the provisions of this Act or the notification issued thereunder; and

(*d*) direct such institution to admit a student to whom admission has been wrongly denied.

(2) Before taking any action under sub-section (1), a reasonable opportunity of being heard shall be provided to such institution by the State Government.

Powers of the State Government to issue directions.

10. The State Government may, from time to time, issue to the Private Medical Educational Institutions such directions, as in its opinion, are necessary or expedient for carrying out the purposes of this Act and the notifications issued thereunder, and such institutions shall comply with the directions.

Power to remove difficulties.

11. (1) If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of this Act, the State Government may, by an order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to it to be necessary for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before the legislature of the State.

Protection of action taken in good faith.

12. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State Government or any officer or employee of the State Government or any other person or authority, authorized by the State Government for anything, which is done or intended to be done in good faith under this Act or the notification issued thereunder.

Power to make rules

13. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the provisions of this Act.

(2) Rules made under sub-section (1) shall be subject to the condition of previous publication in the Official Gazette.

(3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly, while it is session for a total period of ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before expiry of the session in which it is so laid or the successive sessions aforesaid, the Legislative Assembly agrees in making any modification in the rule or agrees that the rules should not be made, the rule shall, thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

Repeal of Ordinance No. 4 of 2006 and savings.

14. (1) The Himachal Pradesh Private Medical Educational Institutions (Regulation of Admission, Fixation of Fee and Making of Reservation) Ordinance, 2006 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित